छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | प्रथम सत्र | अंक-21

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 2014

(फाल्गुन-2, शक संवत 1935)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15 एवं 17 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 03, 06, 09, 13, 16 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमशः डॉ.विमल चोपड़ा, सर्वश्री महेश गागड़ा, मनोज सिंह मंडावी, शंकर ध्रुवा, एवं राजू सिंह क्षत्री अनुपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित **12** तारांकित एवं **17** अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2.पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अंतर्गत तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013,

(2) श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट,

(3) श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने वक्फ अधिनियम, 1995 (क्रमांक 43 सन् 1995) की धारा 98 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013, तथा

(4) श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 ी की रिपोर्ट, **पटल पर रखे।**

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री खेलसाय सिंह, अमरजीत भगत, सदस्य ने जिला सूरजपुर अंतर्गत केरता में संचालित मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना प्रबंधन द्वारा शक्कर एवं मोलासिश विक्रय में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पुन्नूलाल मोहले, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ. सनम जांगड़े, सदस्य ने कसडोल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसडोल में चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सकों का अभाव होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्रीमती अनिला भेंडिया

(2) श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे

(3) श्री भोलाराम साहू

(4) श्री पारसनाथ राजवाड़े

(5) श्री मोतीलाल देवांगन

(6) श्री धनेन्द्र साहू

(7) श्री सियाराम कौशिक

(8) श्री लालजीत सिंह राठिया

(9) श्री भैयाराम सिन्हा

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता (निरसन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 4 सन् 2014)

श्री पुन्नूलाल मोहले, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता (निरसन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 4 सन् 2014) पुर:स्थापित किया ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता (निरसन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 4 सन् 2014) पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु उनके द्वारा 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

6. वर्ष 2014-2015 की अनुदान मांगों पर चर्चा(क्रमश:)

(1) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री के विभागों की अनुदान मांगों पर पुनर्गृहित चर्चा में श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष (जारी)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए ।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. सदन का सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि -

(1) राज्य सरकार के खाद्य विभाग को प्रदेश में आधार कार्ड बनाने हेतु नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। माननीय विधायकों के आधार कार्ड बनाने हेतु दिनांक 24 फरवरी, 2014 को लॉबी स्थित विधायक कक्ष में व्यवस्था की गई है। समस्त माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि वे आवश्यक रूप से अपना आधार कार्ड बनवायें।

(2) दिनांक 21 फरवरी, 2014 को सभा की बैठक स्थगित होने के पश्चात् धर्मस्व मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने समस्त माननीय सदस्यों को राजिम में आयोजित कुंभ में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। राजिम जाने हेतु विधान सभा सचिवालय की बस भी उपलब्ध रहेगी। समस्त सदस्य राजिम कुंभ में अतिथि के रूप में सम्मिलित हों।

8. वर्ष 2014-2015 की अनुदान मांगों पर चर्चा(क्रमशः)

(2) श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित मांग संख्या 19, श्रम से संबंधित मांग संख्या 18, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 79, वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 7 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-19 पर सर्वश्री अमरजीत भगत, उमेश पटेल, धनेन्द्र साहू, राजेन्द्र कुमार राय, अरूण वोरा, सत्यनारायण शर्मा, श्रीमती देवती कर्मा, सर्वश्री श्यामलाल कंवर, मोतीलाल देवांगन, बृहस्पत सिंह, (डॉ.) प्रीतम राम, मोहन मरकाम, **मांग संख्या-18 पर** सर्वश्री अरूण वोरा, धनेन्द्र साहू, उमेश पटेल, **मांग संख्या-7 पर** सर्वश्री राजेन्द्र कुमार राय, (डॉ.) प्रीतम राम, मोतीलाल देवांगन, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्री श्यामलाल कंवर, श्रीमती देवती कर्मा, सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, एवं श्री उमेश पटेल, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री बृहस्पत सिंह , सदस्य ने चर्चा प्रारम्भ की ।

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

श्री बृहस्पत सिंह (जारी)

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री देवजी भाई पटेल, धनेन्द्र साहू, श्रीचंद सुंदरानी, रामदयाल उइके,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए ।)

श्री रोहित कुमार साय,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए ।)

(माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज अशासकीय कार्य दिवस है अतः अनुदान मांगों पर मंत्री जी के उत्तर के पश्चात् अशासकीय कार्य लिये जायेंगे।)

डॉ.प्रीतम राम, सर्वश्री राजेन्द्र कुमार राय, मोहन मरकाम, सत्यनारायण शर्मा।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में दर्ज पद क्रम 5 (3) की मांगे रखे जाने के पश्चात् एवं पद क्रम 6 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

(3) श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 15, आदिम जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या 33, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या 41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 42, अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या 49, अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 53, अनुसूचित जाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या 64, पिछड़ा वर्ग कल्याण से संबंधित मांग संख्या 66, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 68, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 82, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 83 एवं स्कूल शिक्षा से संबंधित मांग संख्या 27 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-33 पर श्री टी.एस.सिंहदेव, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्री लखेश्वर बघेल, **मांग संख्या-49 पर** श्री टी.एस.सिंहदेव, **मांग संख्या-66 पर** श्री टी.एस.सिंहदेव, **मांग संख्या-27 पर** सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा, दलेश्वर साहू, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर चर्चा आगामी दिवस में होगी।

9. अशासकीय संकल्प

(1) सदन का यह मत है कि "भाटापारा विकासखंड के ग्राम चमारगुड़ा का नाम परिवर्तित कर गोपालपुर तथा सिमगा विकासखंड के ग्राम चोरहानवांगांव का नाम परिवर्तित कर नवांगांव किया जाय."

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प वापस लेने हेतु माननीय सदस्य से अनुरोध किया।

माननीय सदस्य ने संकल्प वापस लेने पर सहमति व्यक्त की।

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।

(2) सदन का यह मत है कि "प्रदेश में सभी दुपहिया वाहन चालकों हेतु अनिवार्य रूप से हेलमेट प्रयोग को सुनिश्चित किया जाय."

श्री बर्नाड जे.रोड्रिग्स, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री राजेश मूणत, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प वापस लेने हेतु माननीय सदस्य से अनुरोध किया।

माननीय सदस्य ने संकल्प वापस लेने पर सहमति व्यक्त की।

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।

रात्रि 7.18 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनाँक 24 फरवरी, 2014 (फाल्गुन 5, शक संवत् 1935) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा